लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2561
04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

राजस्थान में वस्त्र उद्योग का विकास

2561. श्री हनुमान बेनीवालः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान में हथकरघा, विद्युतकरघा, तकनीकी वस्त्र और परिधान क्षेत्र का जिला-वार विकास करने के लिए लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान योजना-वार और वर्ष-वार राजस्थान में सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं, जारी वित्तीय सहायता और किए गए वास्तविक व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राजस्थान में प्रमुख वस्त्र संकुलों के आधुनिकीकरण और अवसंरचनात्मक विकास के लिए किसी विशेष योजना को लागू कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कौशल विकास, विपणन, प्रौद्योगिकी उन्नयन और निर्यात संवर्धन के लिए राजस्थान में वस्त्र क्षेत्र में लगे हथकरघा बुनकरों, कारीगरों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (घ): भारत सरकार ने राजस्थान राज्य सहित देश भर में वस्त्र उद्योग के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। प्रमुख योजनाओं में वस्त्र केंद्रों में अत्याधुनिक अवसंरचना के साथ वस्त्र पार्क स्थापित करने के लिए एकीकृत वस्त्र पार्क (SITP) योजना; बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए मैन-मेड फाइबर (MMF) फैब्रिक, एमएमएफ अपैरल और तकनीकी वस्त्र पर फोकस करने वाली उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना; विशेष फाइबर और तकनीकी वस्त्र तथा स्वदेशी मशीनरी का विकास और अपेक्षित कौशल के साथ मानव संसाधनों का निर्माण क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार पर फोकस करने वाला राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM), मांग संचालित, प्लेसमेंट उन्मुख, कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना; संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS); राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम; राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम; और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (CHCDS) शामिल हैं।

हथकरघा क्षेत्र में राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम और कच्ची सामग्री आपूर्ति योजनाओं के तहत, पात्र हथकरघा एजेंसियों/कामगारों को कच्ची सामग्री, उन्नत करघों और सहायक उपकरणों की खरीद, सौर प्रकाश

इकाइयों, वर्कशेड के निर्माण, उत्पाद विविधीकरण और डिजाइन नवाचार, तकनीकी तथा सामान्य अवसंरचना, घरेलू/विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों के विपणन, बुनकर मुद्रा योजना के तहत रियायती ऋण और सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राजस्थान में हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई है:

- 2 छोटे हथकरघा समूहों को 2.02 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जिससे 465 हथकरघा कामगारों को लाभ हुआ है।
- 163 बुनकरों को उन्नत करघे/एसेसरीज प्रदान किए गए हैं।
- 930 हथकरघा कामगारों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया है।
- उत्पादकता बढ़ाने, विपणन क्षमताओं को बढ़ाने और बेहतर आय को सुविधाजनक बनाने के लिए, 2 हथकरघा उत्पादक कंपनियां बनाई गई हैं।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 268 लाभार्थियों का नामांकन किया गया है।
- परिवहन सब्सिडी और मूल्य सब्सिडी के तहत 2 लाख किलोग्राम यार्न की आपूर्ति की गई है।

हस्तशिल्प क्षेत्र में राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (NHDP) और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (CHCDS) के तहत, कारीगरों को विपणन कार्यक्रमों, कौशल विकास, क्लस्टर विकास, उत्पादक कंपनियों के गठन, कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी सहायता, अनुसंधान एवं विकास सहायता, डिजिटलीकरण, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हस्तशिल्प उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन आदि के माध्यम से एंड टू एंड सहायता के लिए आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे राजस्थान राज्य सहित पूरे देश में पारंपरिक शिल्प को लाभ होता है और आजीविका के अवसर बढ़ते हैं। एनएचडीपी योजनाओं के तहत, राजस्थान राज्य में 669 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान 27287 कारीगरों को लाभान्वित करते हुए 83.37 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

मंत्रालय देश भर के वस्त्र हब में अत्याधुनिक अवसंरचना के साथ वस्त्र पार्क स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु एकीकृत वस्त्र पार्क (SITP) योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। एसआईटीपी के तहत, राजस्थान में 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। विवरण निम्नानुसार हैं-

क्र.सं	परियोजना का नाम	जिला	जारी की गई निधि (करोड़ रू. में)
1	नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क प्रा. लि	पाली	40.00
2	किशनगढ़ हाई-टेक टेक्सटाइल वीविंग पार्क लिमिटेड	अजमेर	36.00
3	जयपुर इंटीग्रेटेड टेक्सक्राफ्ट पार्क प्रा. लि	जयपुर	24.06

वस्त्र उद्योग के आवश्यक पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने और नए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) की सहायता करने के लिए मौजूदा प्रसंस्करण समूहों के साथ-साथ विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में नए प्रसंस्करण पार्कों में सीईटीपी के उन्नयन हेतु, मंत्रालय एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (IPDS) को कार्यान्वित कर रहा है। आईपीडीएस के तहत, राजस्थान में 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। विवरण निम्नानुसार हैं--

क्र.सं	परियोजना का नाम	जिला	जारी की गई निधि (करोड़ रू. में)
1	बालोतरा वॉटर पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट एंड रिवर्स ऑस्मोसिस प्राइवेट लिमिटेड	बाड़मेर	64.12
2	जासोल वॉटर पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट एंड रिवर्स ऑस्मोसिस प्राइवेट लिमिटेड	बाड़मेर	14.43
3	सांगानेर एनवायरो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट	जयपुर	37.50
4	नेक्स्टजेन टेक्सटाइल पार्क	पाली	6.30
5	पाली कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट	पाली	37.50

वस्त्र क्षेत्र में "मेक इन इंडिया" के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन के द्वारा रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने के विज़न को प्राप्त करने के लिए अखिल भारतीय आधार पर संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS) लागू की गई थी। राजस्थान राज्य में एटीयूएफएस के तहत कुल 302 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। पिछले 5 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं को जारी की गई वित्तीय सहायता नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:

वर्ष	जारी की गई सब्सिडी (करोड़ रु. में)
2021-22	25.91
2022-23	27.5
2023-24	28.25
2024-25	28.99
2025-26	30.46
कुल	**141.11**

देश में तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए, वर्ष 2020 में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM) शुरू किया गया था। एनटीटीएम एक अखिल भारतीय मिशन है जो कार्बन फाइबर, एरामिड फाइबर, नायलॉन, कंपोजिट आदि जैसे विशिष्ट फाइबर के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार साथ ही तकनीकी वस्त्रों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे जियो-टेक्सटाइल, एग्रो-टेक्सटाइल, चिकित्सा वस्त्र आदि और मशीनरी का स्वदेशी विकास; उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना; तकनीकी वस्त्रों के भारत के निर्यात को बढ़ाना; और अपेक्षित कौशल के साथ मानव संसाधन का निर्माण पर फोकस करता है। एनटीटीएम के तहत, राजस्थान राज्य में निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की गई हैं:

i) अनुसंधान और विकास परियोजनाएं:

क. सिरेमिक और UHMWPE टेक्सटाइल-आधारित हाइब्रिड पॉलीमर कम्पोजिट आर्मर का विकास
ख. विंड टर्बाइन ब्लेड के अनुप्रयोग के लिए ई-ग्लास/कार्बन टेक्सटाइल से रिएनफोर्स्ड हाइब्रिड पॉलीमर कम्पोजिट का विकास
ग. टेक्सटाइल वेस्ट से बने कार्बन मटीरियल से अधिक एनर्जी-डेंसिटी वाले ऑल-कार्बन लिथियम-आयन कैपेसिटर का विकास
घ. विभिन्न तापमान पर वाटर कन्जरवेशन सिस्टम में सीपेज (रिसाव) से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सलेक्टेड जियोटेक्सटाइल-आधारित लाइनर मटीरियल की परफॉर्मेंस का मूल्यांकन

ii) स्टार्ट-अप परियोजनाएं:

क. प्लाज्मा प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक ठंड की स्थिति में सुरक्षा के लिए श्रिंक (shrink) रजिस्टेंट, डिटर्जेंट वॉशवेबल, कैमेफ्लॉज डाइड, फॉर इन्फ्रा-रेड वूल क्लोदिंग का विकास, जिनमें यांत्रिक, आराम और थर्मल गुण अधिक हों।

iii) शिक्षा परियोजनाएं: एमएलवी टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज, बनस्थली विद्यापीठ और बिट्स पिलानी में शिक्षा परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना का उद्देश्य एमएमएफ वस्त्रों में भारत की संरचनात्मक कमियों को दूर करना और पैमाने, प्रौद्योगिकी और मूल्य संवर्धन के माध्यम से वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। योजना के तहत देश भर में 386.30 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है। योजना के तहत चयनित 170 प्रतिभागी कंपनियों में से 06 राजस्थान में हैं।

समर्थ योजना के तहत, वस्त्र मंत्रालय संगठित वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन में भारतीय वस्त्र उद्योगों के प्रयासों को पूरा करने के लिए मांग-संचालित, प्लेसमेंट-उन्मुख कौशल कार्यक्रम प्रदान करता है, जिसमें वस्त्रों की सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला शामिल है। राजस्थान राज्य में इस योजना के तहत कुल 57,725 लाभार्थियों को प्रशिक्षित (पास) किया गया है।
